रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 765] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 10, 2015/चैत्र 20, 1937
No. 765] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 10, 2015 /CHAITRA 20, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2015

का.आ. 996(अ).- केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियमों के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति देने के पश्चात् लोकहित में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, -

पैरा 7 के उप-पैरा 2 के उपशीर्ष के खंड (i) और (i) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा,अर्थात् :—

(i) "विस्तारण" उस प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है जिसके द्वारा विस्तृत व्यापक कार्य अवधारित करने के लिए उस परियोजना या क्रियाकलापों के संबध में कोई पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट तैयार करने के लिए सभी सुसंगत पर्यावरणीय समुत्थानों को जिसके लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति ईप्सित की गई है । सेक्टर विशेषज्ञ आकलन समिति से परामर्श कर मंत्रालय द्वारा विकसित मानक परियोजना क्रियाकलापों के लिए सौंपे गए कृत्य पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे :

परंतु यह कि विशेषज्ञ आकलन समिति या राज्य विशेषज्ञ आकलन समिति, यदि परियोजना के लिए यह आवश्यक पाया जाए तो विनिर्दिष्ट प्ररूप 1 या प्ररूप 2 में आवेदन को स्वीकार करने के तीस दिन में संशोधन को अंतिम रूप में प्रदान करेगी ।

मानक सौंपे गए कृत्य आवेदन के आनलाइन प्रस्तुत होने और रजिस्ट्रीकरण के सफलतापूर्वक होने के पश्चात् कोई पर्यावरण समाघात निर्धारण के प्रारंभ की तैयारी का परियोजना प्रस्ताव होगा।

तथापि यह और कि विशेषज्ञ आकलन, यदि यह आवश्यक हो तो विनिर्दिष्ट आवेदन प्ररूप 1 और प्ररूप 2 में आवेदन को स्वीकार होने में तीस दिन में अतिरिक्त सौंपे गए कृत्यों का अनुबंध कर सकेगी ।

और प्रस्तावक परियोजना अतिरिक्त सौंपे गए कृत्यों के साथ-साथ मानक सौंपे गए कृत्यों पर आधारित ईआईए को करेगा यदि सीईएसी द्वारा अनुबंधित हो, यदि कोई हो ।

परंतु यह कि निम्नलिखित के लिए विस्तारण अपेक्षित नहीं है :—-

(i) अनुसूची के मद 8 (क) के सामने प्रवर्ग 'ख' के अधीन सूचीबद्ध सभी परियोजना और क्रियाकलाप ;

(ii) अनुसूची के मद 7 (च) के सामने और स्तंभ (3) को (i) स्तंभ (4) की प्रविष्टि (ii) के अधीन आने वाले सीमांत राज्यों के सभी राजमार्ग ;

(iii) अनुसूची के मद 7 (च) के सामने स्तंभ (3) की प्रविष्टि (i) और प्रविष्टि (ii) के अधीन आने वाले सभी राजमार्ग विस्तार परियोजना ;

परंतु यह भी कि –

(क) खंड (i) में निर्दिष्ट सभी परियोजना और कृत्य प्ररूप 1 और प्ररूप 1क और संकल्पना परियोजना के आधार पर आकलित किए जाएंगे ।

(ख) खंड (ii) में निर्दिष्ट सभी परियोजनाएं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट मानक सौंपे गए कृत्यों के आधार पर पर्यावरण समाधात निर्धारण रिपोर्ट और पर्यावरण ईएमपी की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किए जाएंगे ।

(ii) पैरा 7 के उप पैरा (i) के उपशीर्ष में खंड (iii) को उनके खंड (ii) के रूप में पुर्नसंख्याकित किया जाएगा ।

[फा. सं. 22-62/2015-आईए-III]

मनोज कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II , खंड 3, उप खंड (ii) संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 को प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन का.आ. 1737 (अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2007, का.आ. 3067 (अ), तारीख 1 दिसम्बर, 2009, का.आ. 695(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011, का.आ. 2896 (अ), तारीख 13 दिसम्बर, 2012, का.आ. 674(अ), तारीख 13 मार्च, 2013, का.आ. 2559 (अ), तारीख 22 अगस्त, 2013, का.आ. 2731(अ), तारीख 9 सितम्बर, 2013, का.आ. 562 (अ), तारीख 26 फरवरी, 2014, का.आ. 637 (अ), तारीख 28 फरवरी, 2014, का.आ. 1599 (अ), तारीख 25 जून, 2014, का.आ. 2601 (अ), तारीख 7 अक्तूबर, 2014, का.आ. 3252 (अ), तारीख 22 दिसम्बर, 2014, का.आ. 382 (अ), तारीख 3 फरवरी, 2015, का.आ. 811 (अ), तारीख 23 मार्च, 2015 द्वारा संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th April, 2015

S.O. 996(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments to the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 after having dispensed with the requirement of notice under clause(a) of sub-rule (3) of said rule 5, in public interest, namely.—

In the said notification, in paragraph 7 in sub–paragraph (i), in sub-heading II. for clauses (i) and (ii), the following shall be substituted, namely:—

(i) "Scoping" refers to the process to determine detailed and comprehensive Terms of Reference (TOR) addressing all relevant environmental concerns for the preparation of an Environment Impact Assessment (EIA) Report in respect of the project or activity for which prior environmental clearance is sought. Standard TOR developed by the Ministry in consultation with the sector specific Expert Appraisal Committees shall be the deemed approved TOR for the projects or activities. The standard Terms of Reference are displayed on the website of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided that the Expert Appraisal Committee (EAC) or State Expert Appraisal Committee (SEAC) may finalise amendment, if found necessary for a project within thirty days of the acceptance of application in specified application Form I or Form IA. These standard TOR shall enable the Project Proponent to commence preparation of an Environment Impact Assessment Report after successful online submission and registration of the application:

Provided further that, the Expert Appraisal Committee (EAC) or State Expert Appraisal Committee (SEAC) may stipulate additional Terms of Reference, if found necessary, within thirty days of the acceptance of the application in the specified application Form I or Form IA and the Project Proponent shall carry out the EIA study based on the standard TORs as well as the additional TOR, if any, stipulated by EAC/SEAC:

Provided also that the following shall not require Scoping–

(i) all projects and activities listed under Category 'B', against Item 8(a) of the Schedule;
(ii) all Highway projects in border States covered under entry (i) of column (3) and entry (i) of column (4) against item 7(f) of the Schedule;
(iii) all Highway expansion projects covered under entry (ii) of column (3) and entry (ii) of column (4) against item 7(f) of the Schedule;

Provided also that –
(A) the project and activities referred to in clause (i) shall be appraised on the basis of Form I or Form IA and the conceptual plan;
(B) the projects referred to in clause (ii) shall prepare EIA and EMP report on the basis of standard TOR specified by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change;

(ii) in Paragraph 7 in sub-paragraph (i), in sub-heading, clause (iii) shall be renumbered as clause (ii) thereof.

[F. No. 22-62/2015-IA.III]

MANOJ KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(ii) vide notification number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and amended vide S.O. 1737(E) dated the 11th October, 2007, S.O. 3067(E) dated the 1st December, 2009, S.O. 695(E) dated the 4th April, 2011, S.O. 2896(E) dated the 13th December, 2012 , S.O. 674(E) dated the 13th March, 2013, S.O. 2559(E) dated the 22nd August, 2013, S.O. 2731(E) dated the 9th September, 2013, S.O. 562(E) dated the 26th February, 2014, S.O.637(E) dated the 28th February, 2014, S.O. 1599(E) dated the 25th June, 2014, S.O. 2601 (E) dated 7th October, 2014, S.O. 3252(E) dated 22nd December, 2014, S.O. 382 (E) dated 3rd February, 2015, and S.O. 811(E) dated 23rd March, 2015.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.